प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 637 सन 2021
अनवान :–

1. ख्यालीराम पुत्र जगराम जाति स्वामी निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. फुसाराम पुत्र बृजलाल पुत्र जगराम जाति स्वामी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
2. रधुवीर पुत्र बृजलाल पुत्र जगराम जाति स्वामी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
3. बलराम पुत्र बृजलाल पुत्र जगराम जाति स्वामी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
4. सुभाष पुत्र बृजलाल पुत्र जगराम जाति स्वामी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 20.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 19 डीपीएन के खाता संख्या 11/11 की कुल 8.0960हैक में से 9487/80960हिस्सा व रोही मौजा चक 1 आरएमजी के खाता संख्या 9/8 की कुल 8.0960हैक में से 633/8096 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के भाई बृजलाल के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वादी के भाई बृजलाल पुत्र जगराम के नाम से दर्ज थी वादी ने बृजलाल पुत्र जगराम से जरिये बेयनामा दिनांक 01.08.1979 को वाद भूमि खरीद की गई थी जो वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है वादी के भूमि खरीद करने के बाद वाद भूमि दो चकों में विभक्त हो गई जो वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है किन्तु वादी के द्वारा खरीद की गई भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है वादी के भाई बृजलाल पुत्र जगराम का दिनांक 21.12.2013 को देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 हवादी खरीद की गई भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के द्वारा जरिये बेयनामा खरीद की गई भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने निवेदन किया की वाद भूमि उनके पिता बृजलाल के नाम से दर्ज है जिन्होने अपने जीवनकाल में वाद भूमि वादी को जरिये बेयनामा बेचान किया हुआ है बृजलाल पुत्र जगराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान हम प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है हमारे पिता के द्वारा वादी को बेचान की गई भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 19 डीपीएन के खाता संख्या 11/11 की कुल 8.0960हैक्ट में से 9487/80960हिस्सा व रोही मौजा चक 1 आरएमजी के खाता संख्या 9/8 की कुल 8.0960हैक्ट में से 633/8096 हिस्सा भूमि

वादी का कथन है कि वाद भूमि बृजलाल पुत्र जगराम के नाम से दर्ज है जो वादी का भाई है है वादी ने अपने भाई बृजलाल से जरिये बैयनामा वाद भूमि खरीद की थी जो वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा वर्तमान में दो चकों में पैमुद हो चुकी है वादी के भाई बृजलाल का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है वादी अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उनके पिता बृजलाल पुत्र जगराम ने अपने भाई वादी को जरिये बैयनामा भूमि बेचान की गई थी जो वादी के कब्जा काश्त में है वादी के द्वारा खरीद की गई भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है तथा प्रस्तुत बेयनामा से वादी के कथनों की पुष्टि होती है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है रोही मौजा चक 19 डीपीएन के खाता संख्या 11/11 की कुल 8.0960हैक्ट में से 9487/80960हिस्सा मृतक बृजलाल के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है व रोही मौजा चक 1 आरएमजी के खाता संख्या 9/8 की कुल 8.0960हैक्ट में से 633/8096 हिस्सा भूमि मृतक बृजलाल के नाम दर्ज का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2021 को प्रशासन गावं कें संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट...चक सरदारपुरा.

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सत्यमेव जयते

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
पर्चा डिक्री
(आडॅर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)
न्याायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. ख्यालीराम पुत्र जगराम जाति स्वामी निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 फुसाराम पुत्र बृजलाल पुत्र जगराम जाति स्वामी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
2. रधुवीर पुत्र बृजलाल पुत्र जगराम जाति स्वामी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
3. बलराम पुत्र बृजलाल पुत्र जगराम जाति स्वामी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
4. सुभाष पुत्र बृजलाल पुत्र जगराम जाति स्वामी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 923 सन 2021 निर्णय दिनांक–20.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कं संग अंभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 19 डीपीएन के खाता संख्या 11/11 की कुल 8.0960हैक्ट में से 9487/80960हिस्सा मृतक बृजलाल के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है व रोही मौजा चक 1 आरएमजी के खाता संख्या 9/8 की कुल 8.0960हैक्ट में से 633/8096 हिस्सा भूमि मृतक बृजलाल के नाम दर्ज का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 20.10.2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट...चक सरदारपुरा